

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/3/5.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/3/4 दिनांक 25.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

**जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019**

अनुसूची – एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सासायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	गुंडरदेही	रजकट्टी	लचकेरा

जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुर्नगठन योजना 2019

अनुसूची – दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सासोयटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आमदी	दर्दीपारा	अंदोरा, कोसमी, दर्दीपारा, बोईरगांव, खरता, आमगांव नवागांव, पेण्ड्रा, सेमरा, चिपरी, रावणडिगी,
2	पाण्डुका	पोड़	नागझर, कुकदा, घटकर्ता, आसरा बोडाबांधा, पोंड़
		सांकरा	सांकरा, कुम्हरमरा, गाडाघाट, मुरमुरा, फुलझर, तौरंगा, दीवना, कुरुद
3	राजिम	बेलटुकरी	बेलटुकरी, किरवाई, भैंसातरा, लफंदी, धुमा
4	बासीन	कोमा	कुम्ही, कोमा, पितईबंद, सेम्हतरा
5	रक्शा (अरण्ड)	पोखरा	परसदा, पोखरा, हथखोज, रक्शा, रावड़
6	कोपरा	देवरी	देवरी, परतेवा
		जेंजरा	जेंजरा, टेका, कपसीडीह, मुडतराई
7	सिवनी	कनसिंधी	भरवामुड़ा, जटियातौरा, पण्डरीपानी (कमार), कोठीगांव, घोटपानी, थुहापानी, कनसिंधी, बोईरभाडी, मातरबाहरा, परसापानी, केवटीझर
8	खड़मा	लोहझर	लोझर, रवेली, तिलईदादर, गिधनी, पंडरीपानी, खट्टी, खैरझिटी, ओनवा, जरगांव
		पंक्तियां	पंक्तिया, बोईरगांव, जुनवानी, कनेसर, केडीआमा
9	रानीपरतेवा	अकलवारा	अकलवारा, मुडागांव, कसेकेरा, नवापारा, भैरा
10	चरौदा (फिंगेश्वर)	सहसपुर	कसेरुडीह
11	लोहरसी		सहसपुर, धुरसा, तरीघाट
12	बारुला	पीपरछेड़ीकला	पीपरछेड़ीकला, पीपरछेड़ीभुजिया, पीपरछेड़ीखुर्द, केरगांव, लोहारी, कोदोपाली, दलदली, रायआमा, चिंगरमाल, मौहाभाठा, देवपरसुली, धमना, दांतबायकला, दांतबायखुर्द गोडलबाय, डुमरबहरा, कामरभाँदी, बादीमार, तेन्दूबाँय, बाघमार, हाटमौहा, कोचईमूड़ा, पीपरकन्हार, कोपेकसा
13	शोभा	कोयबा (बम्हनीझोला)	इंदागांव, अमली, जांगडा, बरगांव, तौरंगा, कोदोमाली, जुगाड, कोयबा, साहेबिनकछार नागेश, कोदोमाली, अमाड, देवझर अमली

14	काण्डेकेला	खोखमा (धुवागुडी)	मदांगमुड़ा, गोहरामाल, सिहारलटी, गोढ़ियारी, उसरीजोर, आंवराभाठा, फुलवारी, मुडामहान, भैसमुडी, डूमाघाट कान्डसर, सगड़ा केन्दूपाटी, खोखमा, फरसरा, लधवापारा सरईपानी, कालीमाटी बुढगेलटप्पा
15	अमलीपदर	मुडगेलमाल	कुहीमाल, मुडगेलमाल, स्याहीडोगरी धौराझोला, छैला, चिखली, घुमरापदर, धनोरा, पीपलखुटा, सरनाबहाल, फलसापारा, कुण्डेरापानी, दाबरीगुडा, पदमपुर, मुडागांव, खरीपथरा
16	ढोरा	तेतलखुटी	तेतलखुटी, झरगांव, साल्हेभाटा, गुरजीभाटा, बजाडी, चिचिया, डुमरपीटा, बरबहाली, नवागांव, धरनीधोडा, बुरजाबहाल, बनवापारा
17	निष्टीगुड़ा	झिरीपानी	झिरीपानी, केंदूवन, डुमरबहाल, खोखसरा, खम्हारमुडा, ठिरलीगुड़ा, सौगनभाडी, सुपेबेड़ा
18	देवभोग	रोहनागुड़ा	मोखामुड़ा, धुंगीयामुड़ा, कुर्मीबासा, कुमढईखुर्द, रोहनागुड़ा, धामनबेड़ा, करलागुड़ा, धुमामुड़ा, जामगांव, मुरलीगुड़ा, मुंगिया
19	झाखरपारा	दीवानमुड़ा	पुरनापानी, कोदोबेड़ा, दीवानमुड़ा, माडागांव, कुम्हडईकला, अमाड, बरही, सुखलीभाठा नवीन, सहसखोल
20	लाटापारा	गोहरापदर (देवभोग)	करचिया, गोहेकेला, टिकरापारा, खुटगांव, तुवासमाल, गोहरापदर, दरलीपारा, नांगलदेही, पीटापारा, सुकलीभाठा पुराना, धुपकोट

जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुर्नगठन योजना 2019

अनुसूची – तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	गरियाबंद	नागाबुड़ा, नहरगांव, तावरबाहरा, झिथरीडुमर, पण्डीपानी, कोडोहरदी, भैसामुड़ा, कोसमबुड़ा, परसुलीखुर्द, हाथबांय, चिखली (ग), भैसतरा, गुजरा, गरभनतोरा	-	नागाबुड़ा
		मरौदा, पारागांव, बम्हनी, काजनसरा, कुचेना, बेन्दकुरा, बुटेंगा, जडजडा, पेण्ड्रा, छिन्दौला, सढौली, खट्टी	-	मरौदा
		भेजराडीह	-	
2	परसुली	सोहागपुर, कस, गंजईपुरी, हरदी, कासरबाय, घुटकुनवापारा, बहेराबुड़ा, कोदोबत्तर, बारुका, टोइयामुड़ा, विजयनगर, चितईकोना, गांहदर, कोचवाय	-	सोहागपुर
		कौंदकेरा, राकादादर, भुजियामुड़ा	बारुला	-
3	बेलर	सिरी	चरौदा (फिंगेश्वर)	-
		परसदा कला, गनियारी, खुड़सा, पतोरा, पतोरी, घोघरा।	-	परसदाकला
4	उरमाल	गोहरापदर, छैलडोगरी, केकराजोर, खुडबुडी, सरगीगुडा, चलनापदर, गुडभेली	-	गोहरापदर (मैनपुर)
		कदलीमुड़ा, डोंगरीगुड़ा, माहुलकोट	ढोर्वा	-
5	दुल्ला	घोघरा	चरौदा (छुरा)	-
		कोसमी, बम्हनी, चुरकीदादर, नवाडीह, जलकीपानी, पथरी, तिलईदादर, नवापारा	-	कोसमी